रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2014/श्रावण 22, 1936
No. 422] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2014/SHRAVNA 22, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 582 (अ).--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संफदरजंग अस्पताल/डॉ.राम मनोहर लोहिया अस्पताल/लेडी हार्डिंग कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल/कलावती सरन (नर्सिंग सिस्टर और स्टाफ नर्स) भर्ती नियम, 1997 को, जहां उनका संबंध स्टाफ का लोप किया गया है, **डा. राम मनोहर लोहिया** अस्पताल, नई दिल्ली में स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (स्टाफ नर्स) भर्ती नियम, 2014 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन का वेतनमान** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता, आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिनका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतो पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ नर्स	840* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न) कि वह अंतिम तारीखजो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यथियों के लिए विहित की गई है ।	(I) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बी.एस.सी. (आनर्स); या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एस.सी. नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग; या (ii) राज्य नर्सिंग परिषद् के साथ नर्स या नर्स और मिडवाईफ (आरएन या आरएन और आरएम) के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो; (iii) ऊपर वर्णित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् न्यूनतम पचास शैय्या वाले अस्पताल में छह माह का अनुभव । या (II) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग मिडवाईफरी में डिप्लोमा ; (ii) राज्य नर्सिंग परिषद् के साथ नर्स या नर्स और मिडवाईफ (आरएन या आरएन और आरएम) के रूप में पंजीकृत हो;

						(iii) ऊपर (II) (i) पर वर्णित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम पचास शैय्या वाले अस्पताल में दो वर्ष और छह मास का अनुभव । **टिप्पण** 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2** : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कमर्चारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी ;– (क) (i)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; और (ii) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं । (प्रतिनियुक्तिपर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**
(11)	(12)
लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, - अध्यक्ष (डॉ.राम मनोहर लोहिया अस्पताल) 2. **मुख्य नर्सिंग अधिरकारी/नर्सिंग अधीक्षक** -सदस्य डॉ.राम मनोहर लोहिया अस्पताल 3. नर्सिंग सलाहकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य 4. उप निदेशक प्रशासन -सदस्य (डॉ.राम मनोहर लोहिया अस्पताल)

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. ए. -11018/03/2013-एमएच-भाग I]

अक्षय कुमार साहु, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2014

G.S.R. 582 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung hospital/Dr. Ram Manohar Lohia Hospital/Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital/Kalawati Saran Education and Research, Pondicherry (Nursing Sister and Staff Nurse) Recruitment Rules, 1997, in so far as they relate to the post of Staff Nurse, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Nurse in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement:-**

(1) These rules may be called the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (Staff Nurse) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.--**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backword classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Pay band and grade pay or pay scale.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Staff Nurse	840* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Non Gazetted, Non-Ministerial	Pay band 2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600.	Not applicable

Age limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).	Educational Qualifications: I.(i) B.Sc. (Hons.) in Nursing from a recognised University or Institute; or Regular course in B. Sc. Nursing from a recognised University or Institute; or Post Basic B.Sc Nursing from a recognised University or Institute; (ii) registered as a Nurse or Nurse and Midwife (RN or RN and RM) with State Nursing Council; (iii). Six months experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned above. or II. (i). Diploma in General Nursing Mid-wifery from a recognised Board or Council; (ii). Registered as a Nurse or Nurse and Mid-wife (RN or RN and RM) with State Nursing Council; and (iii) Two and half years experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned at II.(i) above. Note 1: Experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent	Not applicable.	Two years .	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government:- (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. (The maximum age limit for appoint-ment by deputation

	authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage or selection the Staff Selection Commission/Competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for consisting confirmation) consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent of Dr. Ram Manhohar Lohia Hospital, New Delhi -Chairman 2. Chief Nursing Officer/Nursing Superintendent , Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Member 3. Nursing Adviser, Ministry of Health and Family Welfare -Member 4. Deputy Director Administration , Dr. Ram Manohar Lohia hospital, New Delhi	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. A.11018/03/2013-MH III/II Part I]
A.K. SAHOO, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 583 (अ).-- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संफदरजंग अस्पताल/डॉ.राम मनोहर लोहिया अस्पताल/लेडी हार्डिंग कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल/कलावती सरन (नर्सिंग सिस्टर और स्टाफ नर्स) भर्ती नियम, 1997 को, जहां उनका संबंध स्टाफ का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (स्टाफ नर्स) भर्ती नियम, 2014 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन का वेतनमान - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिनका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतो पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ नर्स	887* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न) कि वह अंतिम तारीखजो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,	(I) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बी.एस.सी. (आनर्स) ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एस.सी. नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग ; या (ii) राज्य नर्सिंग परिषद् के साथ नर्स या नर्स और मिडवाईफ (आरएन या आरएन और आरएम) के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो; (iii) ऊपर वर्णित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् न्यूनतम पचास शैय्या वाले अस्पताल में छह माह का अनुभव । या (II) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या

					जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	परिषद से जनरल नर्सिंग मिडवाईफरी में डिप्लोमा ; (ii) राज्य नर्सिंग परिषद् के साथ नर्स या नर्स और मिडवाईफ (आरएन या आरएन और आरएम) के रूप में पंजीकृत हो;
						(iii) ऊपर (II) (i) पर वर्णित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम पचास शैय्या वाले अस्पताल में दो वर्ष और छह मास का अनुभव। **टिप्पण** 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण** 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कमर्चारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**
(11)	(12)
लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष 2. **मुख्य नर्सिंग अधिरकारी/नर्सिंग अधीक्षक** सफदरजंग अस्पताल -सदस्य 3. नर्सिंग सलाहकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य 4. उप निदेशक प्रशासन (सफदरजंग अस्पताल) -सदस्य
भर्ती लोक सेवा आयोग से परापर्श करना आवश्यक नहीं है ।	
(13)	
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।	

[सं. ए. 11018/03/2013-एमएच III/II/भाग-II]

अक्षय कुमार साहु, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2014.

G.S.R. 583 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital/Dr. Ram Manohar Lohia Hospital/Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital/Kalawati Saran Education and Research, Pondicherry (Nursing Sister and Staff Nurse) Recruitment Rules, 1997, in so far as they relate to the post of Staff Nurse in Safdarjung Hospital, New Delhi except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Staff Nurse in Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement -**

(1) These Rules may be called the Safdarjung Hospital, New Delhi (Staff Nurse) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2**. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.—**The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Staff Nurse	887* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' (Non Gazetted), Non-Ministerial	Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4,600	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the the instructions or orders issued by the Central Government) **Note** 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the union territory of the Lakshdweep).	Educational Qulalifications: I.(i) B.Sc. (Hons) in Nursing from a recognised University or Institute; or Regular course in B.Sc. Nursing from a recognised University or Institute; or Post Basic B.Sc Nursing from a recognised University or Institute; (ii) Registered as a Nurse or Nurse and Mid-wife (RN or RN & RM) with State Nursing Council. (iii) Six months experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned above. or II. (i) Diploma in General Nursing Mid-wifery from a recognised Board or Council; (ii) Registered as a Nurse or Nurse and Mid-wife (RN or RN & RM) from State Nursing Council; and (iii) Two and half years' experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned at II (i) above. **Note** 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years	By direct recruitment **Note**1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government:- (a) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col.7. (The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding

	Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			years as on the closing date of receipt of applications).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi - Chairman 2. Chief Nursing Officer/ Nursing Superintendent, New Delhi - Member 3. Nursing Adviser, Ministry of Health and Family Welfare - Member 4. Deputy Director Administration, Sadarjung hospital, New Delhi	Consultation with UPSC not necessary.

[No. A.11018/03/2013-MH III/II]
A.K. SAHOO, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 584 (अ).-- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संफदरजंग अस्पताल/डॉ.राम मनोहर लोहिया अस्पताल/लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल/कलावती सरन (नर्सिंग सिस्टर और स्टाफ नर्स) भर्ती नियम, 1997 को, जहां उनका संबंध स्टाफ का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (स्टाफ नर्स) भर्ती नियम, 2014 है।

   2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन का वेतनमान** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता, आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

   (ख) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिनका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिएजो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतो पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ नर्स	560* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <u>टिप्पण 1</u>: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न) कि वह अंतिम तारीखजो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।	(I) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बी.एस.सी. (आनर्स) ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एस.सी. नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग; या (ii) राज्य नर्सिंग परिषद् के साथ नर्स या नर्स और मिडवाईफ (आरएन या आरएन और आरएम) के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो; (iii) ऊपर वर्णित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् न्यूनतम पचास शैय्या वाले अस्पताल में छह माह का अनुभव । या (II) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग मिडवाईफरी में डिप्लोमा; (ii) राज्य नर्सिंग परिषद् के साथ नर्स या नर्स और मिडवाईफ (आरएन या आरएन और आरएम) के रूप में पंजीकृत हो; (iii) ऊपर (II) (i) पर वर्णित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कारने के पश्चात न्यूनतम पचास शैय्या वाले अस्पताल में दो वर्ष और छह मास का अनुभव ।
						टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन

						आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कमर्चारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; और (ii) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं। (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना—**
(11)	(12)
लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निन्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, - अध्यक्ष लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल 2. **मुख्य नर्सिंग अधिकारी/नर्सिंग अधीक्षक** -सदस्य लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल

	3. नर्सिंग सलाहकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य 4. उप निदेशक प्रशासन -सदस्य लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल
भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(13)	
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।	

[सं. ए. 11018/03/2013-एमएच III/II भाग II]

अक्षय कुमार साहु, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2014

G.S. R. 584 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital/Dr. Ram Manohar Lohia Hospital/Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital/Kalawati Saran Education and Research, Pondicherry (Nursing Sister and Staff Nurse) Recruitment Rules, 1997, in so far as they relate to the post of Staff Nurse in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Nurse in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta **Kriplani Hospital, New Delhi, namely—**

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Staff Nurse) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale .—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Staff Nurse	560* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' (Non Gazetted) Non-Ministerial	Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600.	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the union territory of the Lakshdweep).	Educational Qualifications: I.(i) B.Sc. (Hons.) in Nursing from a recognised University or Institute; or Regular course in B.Sc. Nursing from a recognised University or Institute; or Post Basic B.Sc Nursing from a recognised University or Institute; (ii) Registered as a Nurse or Nurse and Mid-wife (RN or RN & RM) with State Nursing Council; (iii) Six months experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned above. or (II) (i) Diploma in General Nursing Mid-wifery from a recognised Board or Council; (ii) Registered as a Nurse or Nurse and Mid-wife (RN or RN & RM) from State Nursing Council; and (iii) Two and half years experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned at II(i) above. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years	By direct recruitment Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government:- (a) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col.7. (The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Committee (for considering confirmation) consisting of :- Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman Chief Nursing Officer/ Nursing Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Member Nursing Adviser, Ministry of Health and Family Welfare -Member Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Member	Consultation with UPSC not necessary.

[No. A.11018/03/2013-MH III/II Part II]

A. K. SAHOO, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 585 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल/डॉ.राम मनोहर लोहिया अस्पताल/लेडी हार्डिंग कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल/कलावती सरन (नर्सिंग सिस्टर और स्टाफ नर्स) भर्ती नियम, 1997 को, जहां उनका संबंध स्टाफ का लोप किया गया है, कलावती सरन बाल चिकित्सालय,, नई दिल्ली में स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली (स्टाफ नर्स) भर्ती नियम, 2014 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन का वेतनमान - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिनका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिएजो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतो पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिऐ अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ नर्स	239* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि) वह अंतिम तारीखजो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।	(I) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बी.एस.सी. (आनर्स); या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एस.सी. नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग; या (ii) राज्य नर्सिंग परिषद् के साथ नर्स या नर्स और मिडवाईफ (आरएन या आरएन और आरएम) के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो; (iii) ऊपर वर्णित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् न्यूनतम पचास शैय्या वाले अस्पताल में छह माह का अनुभव । या (II) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग मिडवाईफरी में डिप्लोमा; (ii) राज्य नर्सिंग परिषद् के साथ नर्स या नर्स और मिडवाईफ (आरएन या आरएन और आरएम) के रूप में पंजीकृत हो; (iii) ऊपर (II) (i) पर वर्णित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम पचास शैय्या वाले अस्पताल में दो वर्ष और छह मास का अनुभव । **टिप्पण** 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।

						टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कमर्चारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**
(11)	(12)
लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निन्लिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. **मुख्य नर्सिंग अधिकारी/नर्सिंग अधीक्षक** कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली -सदस्य 3. नर्सिंग सलाहकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य 4. उप निदेशक प्रशासन लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -सदस्य

(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. ए. 11018/03/2013-एमएच III/II भाग III/2]

अक्षय कुमार साहु, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2014

G.S.R. 585 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital/Dr. Ram Manohar Lohia Hospital/Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital/Kalawati Saran Education and Research, Pondicherry (Nursing Sister and Staff Nurse) Recruitment Rules, 1997, in so far as they relate to the post of Staff Nurse in Kalawati Saran Children's, New Delhi, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Staff Nurse in Kalawati Saran Children's, New Delhi, namely:-

1**. Short title and commencement -**

(1) These Rules may be called the Kalawati Saran Children's, New Delhi (Staff Nurse) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.— The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	**Number of posts**	**Classification**	**Pay band, grade pay or pay scale**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Staff Nurse	239* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' (Non Gazetted) Non-Ministerial	Pay band -2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4,600.	Not applicable.

Age limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, The Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of the Lakshdweep).	Educational Qualifications: I. (i) B.Sc. (Hons.) in Nursing from a recognised University or Institute; or Regular course in B.Sc. Nursing from a recognised University or Institute; or Post Basic B.Sc Nursing from a recognised University or Institute; (ii) Registered as a Nurse or Nurse and Midwife (RN or RN and RM) with State Nursing Council; (iii) Six months experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned above. or II. (i) Diploma in General Nursing Mid-wifery from a recognized Board or Council; (ii) Registered as a Nurse or Nurse and Midwife (RN or RN and RM) with State Nursing Council; and (iii) Two and half years experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned at II(i) above. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years .	By Direct Recruitment. **Note 1:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government:- (a) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7. (The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment**
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital , New Delhi - Chairman 2. Chief Nursing Officer/Nursing Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital , New Delhi -Member 3. Nursing Adviser, Ministry of Health and Family Welfare - Member 4. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Suchta Kriplani Hospital -Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. A 11018/03/2013-MH III/II-Part III]

A.K. SAHOO, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054